



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276654
CG-DL-E-30092026-276654

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5004]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948

No. 5004]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5210(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4694(E) तारीख 24/08/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में NH-135A के कि.मी. 53.550 से कि.मी.59.200 (मडियाहूँ बाईपास) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "02/09/2026 " को "द टाइम्स ऑफ इण्डिया" और "आज" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में NH-135A के कि.मी. 53.550 से कि.मी. 59.200 (मडियाहूँ बाईपास) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: जौनपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मरिअहु					
गांव का नाम: जोगापुर					
1	272/570	निजी	कृषि	0.045	लालचन्द पुत्र मथुरा, अनिल कुमार पुत्र फूलचन्द्र, विद्यादेबी पत्नी स्व० फूलचन्द्र, वरुणकुमार पुत्र फूलचन्द्र
गांव का नाम: रसूलपुर					
2	493	निजी	कृषि	0.1121	बुन्दादेवी पत्नी हरीनाथ, मुन्नीदेवी पत्नी राजकिशोर, रीमा पत्नी सूवेदार
गांव का नाम: नरायनपुर					
3	60मी	निजी	कृषि	0.0156	शीला देवी पत्नी अजय कुमार
4	61	निजी	कृषि	0.037	गुलाबचंद पुत्र सुवलाल, महेन्द्र प्रसाद पुत्र सुवलाल, ब्रम्हदेव पुत्र सुवलाल
कुल योग				0.2097	

[फा. सं. NH-135A 2020-21 LA/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2026

S.O. 5210(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4694(E) Dated:24/08/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), Maintenance, management and operation of NH-135A in the stretch of land from Km. 53.550 to Km. 59.200 (Mariahu Bypass) in the district of JAUNPUR in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Aaj” and “The Times of India” both dated “02/09/2026” under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-135A in the stretch of land from Km. 53.550 to Km. 59.200 (Mariahu Bypass) in the district of JAUNPUR in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: JAUNPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mariahu					
Village: Jogapur					
1	272/570	Private	Agricultural	0.045	Lalchand S/O Mathura, Anil Kumar S/O Phoolchandra, Vidyadebi W/O Late Phoolchandra, Varunkumar S/O Phoolchandra
Village: Rasulpur					
2	493	Private	Agricultural	0.1121	Bunda Devi W/o Harinath, Munni Devi W/o Raj Kishor, Reema W/o Suvedar

Village: Narayanpur					
3	60MI	Private	Agricultural	0.0156	Sheela Devi W/O Ajay Kumar
4	61	Private	Agricultural	0.037	Gulabchand S/O Suvalal, Mahendra Prasad S/O Suvalal, Brahmdev S/O Suvalal
Total				0.2097	

[F. No. NH-135A 2020-21 LA/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director